न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/219

1. बालकिशन मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण राम, जाति मीणा, निवासी ग्राम मंगलेशपुर, तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज)

—अपीलान्ट

बनाम

1. उमराव पुत्र श्री चरण सिंह,
2. बदनीराम पुत्र श्री चरण सिंह,
3. हरिराम पुत्र श्री चरण सिंह,
4. ब्रज मोहन पुत्र श्री चरण सिंह,
5. सरदार पुत्र श्री चरण सिंह,
6. बने सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, जातियान मीणा, निवासीयान ग्राम मंगलापुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज0)
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, रामगढ़ जिला अलवर (राज0)

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर दिनांक 17.08.2021 कि जिसके द्वारा मुकदमा नम्बर 5/2021 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट स्वीकार करते हुए आराजीयात की पैमाईश व पत्थरगढी सही माप के राजस्व अधिकारीगण व तहसीलदार रामगढ की गठित टीम के तहत कराने के आदेश जारी किये गये। बमुराद मंसुखी उक्त निर्णय व स्वीकार किए जाने अपील अपीलांट।

उपस्थित—

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट
2. श्री ताराचंद मीणा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से।
3. चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पो.नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 30.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला जयपुर अलवर के निर्णय दिनांक 17.08.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2021 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के आराजी हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 1.00, 26 रकबा 1.17, 263 रकबा 0.07, 265 रकबा 0.01 266 रकबा

संभागीय आयुक्त जयपुर

0.22, 939/258 रकबा 0.04, 941/259 रकबा 0.03, 945/261 रकबा 0.03 हैक्ट० वाके ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश व पत्थरगढी सही माप के राजस्व अधिकारीगण व तहसीलदार साहब रामगढ की गठित टीम के तहत पत्थरगढी कराना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किया गये।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला जयपुर अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 17.08.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट बालकिशन मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण राम मीणा द्वारा यह अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर दिनांक 17.08.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहत न्यायालय में अपीलांट पक्षकार मुकदमा नहीं था । इसलिए निर्णय जेरे अपील दिनांक 17.08.2021 अपीलांट को बिना सुने अपीलांट के पीठ पीछे से पारित किया गया है। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 20.04.22 को हुई, जिससे अपील अपील हाजा बिना देरी के अंदर मियाद प्रस्तुत है । जेर दफा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पेश करने की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी अलहदा से प्रस्तुत है । यह कि निर्णय जेरे अपील में खसरा नंबर 25 रकबा 1.00 है0, 26 रकबा 1.17 है0, 263 रकबा 0.07 है0, 265 रकबा 0.01 है0, 266 रकबा 0.22 है०, 939/258 रकबा 0.04 है, 941/259 रकबा 0.03 है0, 945/261 रकबा 0.03 है० वाके ग्राम मंगलेशपुर की पैमाईश व पत्थरगढ़ी के आदेश सादिर किये गये हैं। उपरोक्त आराजीयात से मिन अपीलांट का कोई सरोकार किसी तरह का नहीं है किन्तु खरारा नंबर 25 के तरफ उत्तर में एवं खसरा नंबर 26 के तरफ पश्चिम में स्थित खसरा नंबर 12 एवं खसरा नंबर 25 के तरफ दक्षिण में खसरा नंबर 23 मिन अपीलांट व दीगर सहकाश्तकारों के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिस आराजी खसरा नंबर 12 व 23 के बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ के यहाँ राजस्व वाद बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का बअनुवानी बालकिशन बनाम बतूल व अन्य विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 14.06.21 को यथास्थिति का स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है। जमाबन्दी एवं स्थगन आदेश की प्रति संलग्न है। अपीलांट विवादित आराजी का पडौसी है तथा अपीलांट का विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं है। किन्तु निर्णय जेरे अपील की आड़ में पटवारी हल्का आदि ने विवादित आराजी की पैमाईश मिन अपीलांट की गैरमौजूदगी में करते हुए मिन अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 12 में पत्थरगढ़ी के पत्थर लगा दिये, जिससे अपीलांट को आलोच्य निर्णय की जानकारी हुई। यह कि अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 12 से रेस्पाडेंटान का कोई सरोकार किसी तरह का नहीं है। तहसीलदार रामगढ़ व पटवारी हल्का को इस तथ्य की बखुबी जानकारी है कि खसरा नंबर 12 विवादित है, जिसकी तकसीम का दावा न्यायालय में चल रहा है और उसमें यथास्थिति का आदेश जारी है। इसके बावजूद अपीलांट को बिना बुलाये, बिना कोई नोटिस दिये विवादित आराजी की पैमाईश की आड़ में रेस्पाडेंटान को मिन अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 12 पर नाजायज कब्जा कराने की कौशिश की जा रही है। इसलिए अपीलांट आलोच्य निर्णय से प्रभावित होकर व्यथित हुआ है। जिस कारण अपीलांट को अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि आलोच्य

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय चूँकि अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है तथा रेस्पाडेंटान इसकी आड में मिन अपीलांट की खातेदारी की आराजी पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में हैं। जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होती है। यह कि जब खसरा नंबर 12 पर न्यायालय का स्थगन आदेश यथास्थिति का पारित किया हुआ है, तो खसरा नंबर 12 की स्थिति मौका को तब्दील नहीं किया जा सकता है, न ही उसकी सीमाओं से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं जा सकती है, न किसी तरह का परिवर्तन किया जा सकता है । इसलिए भी आलोच्य निर्णय अपीलांट के हितों को ध्यान में रखते हुए निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि आलोच्य निर्णय अपीलांट के हितों के खिलाफ है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर (राज0) के निर्णय दिनांक 17. 08.2021 बमुकदमा नंबर 5 / 2021 को निरस्त फरमाया जावे तथा यह आदेश पारित किए जावें कि अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 12 की सीमाओं को यथावत रखा जावे तथा उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 6 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर में प्रस्तुत कर निवेदन किया आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 1.00, 26 रकबा 1.17, 263 रकबा 0.07, 265 रकबा 0.01 266 रकबा 0.22, 939 / 258 रकबा 0.04, 941 / 259 रकबा 0.03, 945 / 261 रकबा 0.03 हैक्ट० वाके ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित है। उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज व दाखिल है और रिकोर्डेड कब्जे काश्त खातेदार हैं। और आज दिन तक कब्जे काश्त रहकर उपरोक्त आराजी पर का त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में से कुछ रकबा पडौसी काश्तकारों ने दबाया हुआ है जिस बाबत प्रार्थी ने तहसीलदार साहब रामगढ के समक्ष आराजी की सही पैमाईश करने के लिये आवेदन किया था। जिस आवेदन पर पूर्व में दिनांक 10.06.2021 को पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश की जा चुकी है। परन्तु उस समय पत्थरगढी नहीं हुई थी। जिस पैमाईश व निशानदेही को पडौसी काश्तकार नहीं मानते हैं। तथा अब भी प्रार्थीगण की आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर दबाया हुआ है। इसके बाद प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र मय हल्का पटवारी व कानूनगो की मौका की रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया तो अप्रार्थी ने कहा कि यदि अब आपको पत्थरगढी व निशानदेही करानी है तो सक्षम न्यायालय से आदेश कराकर लाओ जिस हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प ा नहीं रहा है। अतः विवादित भूमि पैमाईश व पत्थरगढी सही माप के राजस्व अधिकारीगण व तहसीलदार साहब रामगढ की गठित टीम के तहत मौके पर कराई जावे। एवं उक्त आराजी पर से अतिक्रमण को हटवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2021 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया गया है कि प्रार्थीगण के आराजी हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 1.00, 26 रकबा 1.17, 263 रकबा 0.07, 265 रकबा 0.01 266 रकबा 0. 22, 939 / 258 रकबा 0.04, 941 / 259 रकबा 0.03, 945 / 261 रकबा 0.03 हैक्ट० वाके ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश व पत्थरगढी सही माप के राजस्व अधिकारीगण व तहसीलदार साहब रामगढ की गठित टीम के तहत पत्थरगढी

राजस्व अपील प्राधिकरण जयपुर

कराना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किया गये हैं। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि मौका पर्चा दिनांक 10.06.2021 को ग्राम मंगलेशपुर के आराजी हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 1.00, 26 रकबा 1.17, 263 रकबा 0.07, 265 रकबा 0.01 266 रकबा 0.22, 939/258 रकबा 0.04, 941/259 रकबा 0.03, 945/261 रकबा 0.03 हैक्ट० पर मौके पर सीमाज्ञान के लिए पहुंचा। मौके पर आवेदक उमराव, बदनीराम, हरिराम पुत्रान चरण सिंह वगै0 उपस्थित मिले। मौके पर उपस्थित रहकरण सभी सहखातेदारों के समक्ष उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान कराया गया। सभी सहखातेदार उक्त सीमाज्ञान से सन्तु ठ हुए। मौके पर उपस्थित व्यक्तिगण को मौका पर्चा पढकर सुनाया व हस्ताक्षर करायें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2021 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया गया है कि प्रार्थीगण के आराजी हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 1.00, 26 रकबा 1.17, 263 रकबा 0.07, 265 रकबा 0.01 266 रकबा 0.22, 939/258 रकबा 0.04, 941/259 रकबा 0.03, 945/261 रकबा 0.03 हैक्ट० वाके ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश व पत्थरगढी सही माप के राजस्व अधिकारीगण व तहसीलदार साहब रामगढ की गठित टीम के तहत पत्थरगढी कराना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसलिये अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.04.222 को हुई है। जिसके कारण अपीलांट को दिनांक 17.08.2021 से दिनांक 20.04.22 की अवधि को अपील मियाद को कन्डोन किया जाता है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीदार को आदेशित किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया गया है कि कि प्रार्थीगण के आराजी हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 1.00, 26 रकबा 1.17, 263 रकबा 0.07, 265 रकबा 0.01 266 रकबा 0.22, 939/258 रकबा 0.04, 941/259 रकबा 0.03, 945/261 रकबा 0.03 हैक्ट० वाके ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश व पत्थरगढी सही माप के राजस्व अधिकारीगण व तहसीलदार साहब रामगढ की गठित टीम के तहत पत्थरगढी कराना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने का विधिक अधिकार है। रेस्पोडेन्ट द्वारा नियमानुसार अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करायी गयी है। अपीलान्ट भी अपनी भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.08.2021

संभागीय आयुक्त

पारित किया गया है, जो विधि अनुसार उचित एवं विधिसम्यक है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 17.08.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।